इंडियन मैडिसन्स फर्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश द्वारा जमा कराई गई भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशियां

3732. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन मैडिसन्स फार्मास्यिटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा भविष्य निधि के अन्तर्गत कितनी धन राशियां जमा कराई गई हैं और कितनी धनराशि अभी जमा कराई जानी है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सूचित किया गया है, मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, ऋषिकेष (इंडियन मैडिसन्ज फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश नाम का कोई प्रतिष्ठान नहीं है) से देय राशियों की वसूली संबंधी स्थिति इस प्रकार है :

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कर्मचारी राज्य बीमा योजना 25 नवम्बर, 1979 से उत्तर प्रदेश में ऋषिकेष में लागू की गई थी । उत्तर प्रदेश में इस प्रतिष्ठान के चार एकक हैं । नियोजक ने इन यूनिटों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्धों का अनुपालन करने के बारे में अभी तक सूचित नहीं किया है । अत: कर्मचारी राज्य बीमा निगम चार यूनिटों के रिकार्डों के निरीक्षण की व्यवस्था कर रहा है, जिसके पश्चात् अनुपालन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

इस प्रतिष्ठान को तब तक के लिए छूट दी गई है जब तक कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1) के अधीन छूट प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठान के अनुरोध पर निर्णय नहीं ले लिया जाता । यह प्रतिष्ठान न्यासी बोर्ड को, जो भविष्य निधियों की व्यवस्था करता है, भविष्य निधि अंशदानों के हस्तांतरण के संबंध में अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन नियमित रूप से कर रहा है ।

Textile Goods

3733. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Textiles and Luxury goods worth Rs. 65 crores are reported to be lying at the Indian rail head of Raxaul on the border, as these have not been cleared by Nepalese importers;

(b) if so, its effect on movement of wagons; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to clear them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) A large number of packages have been awaiting clearance at Raxaul-Nepal siding by Nepalese importers. The aggregate value of such goods could not be assessed.

(b) This has also resulted in detention to loaded wagons off and on for unloading for want of space with consequent regulation of traffic to Raxaul.

(c) The following steps have been taken to expedite clearance of goods at Raxaul:

(i) Imposition of special higher rate of wharfage, i.e. Rs. 1.50 per 50 Kg. or part thereof per day or part of a day with effect from 15-5-1980.

(ii) Auctioning from time to time, of packages remaining uncleared for over six months, after completing all formalities.

(iii) Liaison with customs officials/consignees and officials of His Majesty's Government of Nepal to assist in quick clearance.

Loading facilities at Madras Outer Harbour

3734. SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY:
SHRI P. M. SAYEED:
SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether a proposal to improve the loading facilities for iron-ore from the Madras outer Harbour is before the Union Government;